

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति(पुनर्वावलोकन) द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप ग्रुप डी-1A में संवर्गित प्रधानाचार्य (मावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-1A) की वर्ष 2015-16 से 2018-19 की रिव्यू डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर पूर्व के वर्षों में चयनित कार्मिकों का चयन इस कार्यालय के आदेशांक:- शिविरा/मा/संस्था/बी-1A/प्रधानाचार्य/रिव्यू डीपीसी/15-16 सं 18-19 (निरस्त-1)19 दिनांक:- 24.05.2019 द्वारा चयन को निरस्त किया गया है।

उपरोक्त चयन निरस्त आदेश में से संलग्न सूची में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम (चयन निरस्त करने का कारण) के आधार पर तत्काल प्रभाव से पदावनत किया जाता है। उक्त सभी कार्मिकों को पाबन्द किया जाता है कि वे गत धारित पद पर पदस्थापन हेतु आदेश की पालना में तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति दिनांक:- 13/09/2019 कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर में देवें।

संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही सुनिश्चित करेंगे। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा। संलग्न सूची के अनुसार(क.सं. 1 से 05 तक)



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक


शिक्षा राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 11/09/2019

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/रिव्यू डीपीसी/ 15-16 से 18-19/पदावतन/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
05. उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) समस्त मण्डल।
06. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक) समस्त।
07. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार आदेश की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।
08. संबंधित संस्था प्रधान।
09. संबंधित पदावतन कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करते हुए कार्यमुक्ति की कार्यवाही करें एवं निर्धारित तिथि तक कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में अपनी उपस्थिति देवें ताकि जरिये काउंसिलिंग आपके पदस्थापन की कार्यवाही अमल में लाई जावें।
10. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी-3
11. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक-कार्मिक

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ::

कर्मोंक:-शिविरा/मा/संस्था/बी-आ/रिव्यूडीपीसी 15-16से18-19/रिवर्सन/2019

दिनांक:- 11/08/19

क्रस	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम अभ्यर्थी	पु/म	वर्ग	जन्मतिथि	चयन वर्ष	पद जिससे पदोन्नति है।	वर्तमान पदस्थान	जिला	चयन निरस्त करने का कारण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	373	0	2005-06	Kewal Ram Meena	M	ST	05-08-1960	2018-19	PRINCIPAL	G.SR.SEC.SCH. PIPALDAKALA	baran	व्याख्याता 13-14 में चयन होने से पात्र नहीं।
2	115	0	2009-10	Nemi Chand	M		07-06-1966	2018-19	PRINCIPAL	GOVT. ADARSH SR. SEC. SCHOOL KHARERA	BHARATPUR	व्याख्याता 13-14 चयनित होने के कारण पात्र नहीं।
3	348	0	2010-11	Vimal Kumar Sharma	M		26-12-1965	2018-19	PRINCIPAL	SHAHEED ISTIYAK AHMED & SETH PHOOLCHAND JALAN GOVT. ADARSH SR. SEC SCHOOL NUA	JHUNJHUNUN	आदेश दिनांक 31.01.2019 के द्वारा वरिष्ठता विलोपित होने के कारण पात्र नहीं।
4	834	0	2013-14	Renu Kauntey	F	GEN	17-09-1984	2018-19	PRINCIPAL	GOVT GIRLS SR.SEC.SCHOOL, KHEDA VRAHMAN 09-05-2017	BHARATPUR	01.04.18 को लीन वर्ष का अनुभव पूर्ण नहीं करने के कारण
5	935	0	2013-14	Mahesh Kumar	M	GEN	05-07-1980	2018-19	PRINCIPAL	GSSS UTTAMSINGH WALA 10-07-2017	HANUMANGA RH	01.04.18 को लीन वर्ष का अनुभव पूर्ण नहीं करने के कारण



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर